न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

निगरानी संख्या 09/14 तारीख रजू– 03/04/14

कोसमोल बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड ए 41 एम सी आई ई मथुरा रोड नई दिल्ली जरिए मैनेजर [illegible] कुमार पुत्र राजकिशोर शर्मा ब्राहम्ण उम्र 35 वर्ष हाल निवासी चौथ का बरवाड़ा
–––निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा ।
2– [illegible] पुत्र श्री रामकुवांर धाकड़ निवासी चौथ का बरवाड़ा । –––––अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक– 19/01/17**

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र दिनांक 08/01/2014 को प्रशासन समिति पंचायत समिति सवाई माधोपुर के प्रस्ताव संख्या 5 में पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा के निर्णय दिनांक 05/01/2013 को खारिज किया गया है तथा निगरानी गुजार ने निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/01/2014 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई । अप्रार्थी मय वकील उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी राव राजा [illegible]सिंह पुत्र स्व0 श्री मेजर राजा मानसिंह ने आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का इस आश्य से एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त वाद आराजीयात भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है जिसके इन्द्राजात भी ठिकाने के समय से चले आ रहे है। इसलिए उक्त प्रकरण में प्रार्थी एक आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थी को विपक्षी पक्षकार बनाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वाद आराजीयात भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि होना बताया है। जबकि राजस्व रिकोर्ड के अनुसार उक्त वाद आराजीयात गै0मु0आबादी दर्ज है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य/रिकोर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह सिद्ध होता हो कि उक्त वाद–आराजीयात प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि हो। अतः हमारे विन्रम अभिमत में प्रार्थी का उक्त अपील में किसी तरह का हित निहीत होना नहीं पाया जाता है। परिणामतयः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 उक्त आधार पर निरस्त किया जाता है एवं उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने से पूर्व न तो निगरानी गुजार कम्पनी को नोटिस दिया है। ना हि सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान किया है। अदालत मातहत ने मनमाने ढंग से निर्णय पारित किया है। ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा ने दिनांक 05/01/2013 में यह भी अंकित किया कि निगरानी गुजार को रास्ते का विकास करने फुलवारी लगाने तथा रास्ते को उपयोग व उपभोग करने का अधिकार आम जन को देते हुए यह आम रास्ता रहेगा। ग्राम पंचायत के निर्णय के अनुसार निगरानी गुजार कम्पनी लगभग 12 माह पूर्व ही लाखों रूपये खर्च करके सी0सी0 रोड बना चुका है तथा फलवारी लगा चुका है। अतः उक्त निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/01/2014 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से कोसमोल बिल्डवेल प्रा0लि0 (निगरानी गुजार) को सार्वजनिक उपयोग की भूमि जो कि काफी वेश कीमती है। उक्त भूमि को बिना किसी शुल्क के निःशुल्क आवंटन कर दिया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

92/A

था। जबकि निगरानी गुजार ने अपने प्रार्थना पत्र में आबादी भूमि में रोड़ निर्माण हेतु उचित दर पर भूमि चाही गई थी। जिससे ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा को लाखों रूपये की हानि हुई है। जिससे प्रशासन समिति पंचायत समिति सवाई माधोपुर ने नियमानुसार अपने निर्णय दिनांक 08/01/2014 द्वारा कानून व तथ्यों को ध्यान में रखते हुए खारिज किया है। अतः प्रशासन समिति पंचायत समिति सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08/01/2014 यथावत रखते हुए निगरानी गुजार की निगरानी अस्वीकार की जावे एवं संरपच व सचिव द्वारा पंचायत को नुकसान व अपने पद का दुरपयोग करने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08/01/2014 विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर, प्रधान पंचायत समिति सवाई माधोपुर एवं पंचायत समिति सदस्यों की सर्व सहमति से पारित किया गया है एवं विकास अधिकारी, प्रधान पंचायत समिति एवं सदस्यों के हस्ताक्षर भी अंकित है। जिसमें स्पष्ट होता है कि प्रशासन समिति पंचायत समिति सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08/01/2014 में किसी प्रकार की त्रुटि/भूल नहीं की है। ऐसी स्थिती में निगरानी गुजार की निगरानी स्वीकार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ ,साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05/01/2013 में निगरानी गुजार (प्रार्थी) ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 27/07/2012 द्वारा ग्राम पंचायत से रोड निर्माण हेतु उचित दर पर भूमि प्रार्थी को देने हेतु निवेदन किया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि उच्च अधिकारीयों से मार्गदर्शन लिए बिना ही निःशुल्क प्रार्थी (निगरानी गुजार) को रोड बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी। जिससे ग्राम पंचायत को काफी राजस्व हानी हुई है। जिससे स्पष्ट होता है कि संरपंच व सचिव ने अपने पद का दुरूपयोग किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करते हुए प्रशासन समिति पंचायत समिति सवाई माधोपुर के प्रस्ताव संख्या 5 में पारित निर्णय दिनांक 08/01/2014 यथावत रखा जाता है एवं संरपच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा व सचिव ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करने व ग्राम पंचायत को हुई राजस्व हानि के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सवाई माधोपुर को उक्त आदेश की एक प्रति भिजवाते हुए संरपच व सचिव के विरूद्ध पंचायत को नुकसान पंहुचाने के जुर्म में कार्यवाही हेतु पंचायत राज को प्रकरण बनाकर भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19/01/2017 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर